संख्या- 02/2017/646/29-6-2017-121सा/98

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त संयुक्त आयुक्त (खाद्य)/ समस्त उपायुक्त(खाद्य),
उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 21 अप्रैल, 2017

विषय:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का सुचारू रूप से वितरण कराया जाना।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्राविधान दिनांक 01 मार्च, 2016 से लागू किये जा चुके हैं, फलस्वरूप प्रदेश में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी श्रेणी के लाभार्थियों को 2.00रू0 प्रति कि0ग्रा0 गेहूँ तथा 3.00रू0 प्रति कि0ग्रा0 चावल का वितरण कराया जाता है। शासन के संज्ञान यह बात आ रही है कि प्रदेश के सभी लाभार्थियों को उनके हक का खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है और सरकारी राशन का व्यावर्तन (डायवर्जन) कर उसे खुले बाजार में बेंचे जाने की विभिन्न स्रोतों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। यह स्थिति अत्यन्त ही गम्भीर, असंतोषजनक और निन्दनीय है। शासन ने इन शिकायतों को अत्यन्त ही गम्भीरता से लिया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :-

(1) प्रदेश के सभी मण्डलों एवं जनपदों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों (अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी) को उनकी पात्रता के अनुसार देय खाद्यान्नों का शतप्रतिशत वितरण सुनिश्चित किया जाय।

(2) शासनादेश संख्या-2490/29-6-2015-121सा/98, दिनांक 06-10-2015 द्वारा खाद्यान्न के उठान, वितरण एवं त्रिस्तरीय सत्यापन की जो व्यवस्था की गयी है, उसका कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

(3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के अन्तर्गत खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-178/29-6-2016-116सा/14, दिनांक 20-01-2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियमावली,2015 की व्यवस्थानुसार गठित विभिन्न स्तरीय सतर्कता समितियों की नियमित बैठकें करायी जायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) खाद्यान्न के वितरण की सभी स्तरों पर सतत निगरानी रखी जाय और यदि कहीं पर भी खाद्यान्न के व्यावर्तन(डायवर्जन) अथवा उसे खुले बाजार में बिकते हुए पाया जाय तो तुरन्त सम्बन्धित के विरूद्ध स्थानीय थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी जाय।

(5) उपर्युक्तानुसार सम्भावित डायवर्जन/कालाबाजारी में जो भी सरकारी कर्मचारी लिप्त पाये जायें, उन्हें निलम्बित करते हुए तुरन्त विभागीय कार्यवाही की जाय एवं अन्य विधिक कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जाय।

(6) यदि किसी पर्यवेक्षणीय अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही शासन स्तर से की जानी है, तो कृपया उसके सम्बन्ध में पूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

(7) अभियान चलाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के अन्तर्गत निर्धारित श्रेणियों अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों का शतप्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित किया जाय और सत्यापन के दौरान पृथक रूप से यह सूचना भी संकलित कर ली जाय कि किन लाभार्थियों के पास बिजली कनेक्शन एवं रसोई गैस उपलब्ध है।

भवदीय,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-02/2017/646(1)29-6-2017 तददिनांक ।

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अपने मण्डल के जिलाधिकारीगण के साथ प्रतिमाह इसकी नियमित समीक्षा करने का कष्ट करें।

2- प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि वे कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने तथा खाद्यान्न वितरण के त्रिस्तरीय सत्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए खाद्यान्न का सुचारू रूप से वितरण कराने का कष्ट करें।

3- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम को इस निर्देश के साथ कि वे जिन सम्भागों में खाद्यान्न वितरण का कार्य कर रहे हैं, उनमें उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

4- प्रतिलिपि समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों,सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारियों एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विपणन शाखा में भी उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in